न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–12/अ–59/2016–17/ 11665　　　　बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका श्रीमती संगीता पति मनीराम धुर्वे एवं आवेदिका मनीषा पति मड्ढा धुर्वे दोनो निवासी ग्राम कोसमी (खकरा जामठी) तहसील व जिला बैतूल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि, वे विगत 6–7 वर्षो से उक्त ग्राम में झोपड़ी बनाकर निवास कर रही है, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में उनके नाम से कहीं भी मकान/प्लाट आदि नहीं है,अतः उन्हे उक्त भूमि का पट्टा प्रदान किया जाए । मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत निवारण विभाग भोपाल के माध्यम से आवेदिकाओ के उक्त आवेदन पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुए है। आवेदिकाओ के आवेदन आवेदन पत्र तहसीलदार बैतूल की ओर भेजकर विषयांकित के संबंध में प्रतिवेदन आहूत किया गया।

2– ग्राम टेमनी (राजस्व निरीक्षक वृत्त बैतूल–2), नायब तहसीलदार बैतूल के कार्यक्षेत्र मे होने के कारण नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा विषयांकित के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– नायब तहसीलदार बैतूल द्वारा विषयांकित के संबंध में विधिवत् प्रकरण संस्थित किया जाकर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन एवं ग्राम प्रस्ताव पंचायत से प्रस्ताव आहूत किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि, आवेदिकागण ग्राम खकरा जामठी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 54/2 रकबा 0.682 मद चरनोई में झोपड़ी बनाकर निवासरत है।

(2)– राजस्व अभिलेख खसरा के अनुसार मौजा खकरा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 54/2 रकबा 0.682 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार, उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 05–10–2016 कों आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर, मौजा खकरा जामठी स्थित खसरा नंबर 54/2 रकबा 0.632 हेक्टेयर में से 0.170 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(4)– मौजा खकरा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 54/2 रकबा 0.632 हेक्टेयर में से 0.170 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(5)– प्रकरण में अंकित नायब तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन के अनुसार, मौजा खकरा जामठी का मकबूजा रकबा 66.417 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 1.498 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 1.328 हेक्टेयर होता है, इस प्रकार ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, रक्षित रकबे (02 प्रतिशत) से अधिक है। मद परिवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा (0.170 हेक्टेयर) को आबादी घोषित किए जाने से, ग्राम में चरनोई का रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)– नायब तहसीलदार बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा, मौजा खकरा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 54/2 रकबा 0.632 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.170 हेक्टेयर भूमि का मद परिवर्तन कर आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत

तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यपदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा खकरा जामठी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 54/2 रकबा 0.632 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.170 भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क0:– 12/अ–59/2016–17/ 11665 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः–

1– प्रभारी अधिकारी जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यालय कलेक्टर बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि, मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत निवारण विभाग को प्रश्नाधीन आवेदन पत्रो के निराकरण के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत करॉए।

2– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल ।

3– नायब तहसीलदार बैतूल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

6– सचिव ग्राम पंचायत टेमनी जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

31/10/17